संख्या-31/2020-755/58-2020-24/2019टी0सी0-2

प्रेषक,

इन्दुबाला कटियार,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ

उद्यान अनुभाग **लखनऊः दिनांकः 03 जून, 2020**

विषयः **वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान सं0-83 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2401-789-07-औद्यानिक विकास कार्यक्रम की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-18/बजट/2020-21, दिनांक 26.05.2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान सं0-83 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-789-07-औद्यानिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्नलिखित तालिका में वर्णित मानक मदों में उनके सम्मुख अंकित कुल धनराशि रु0-294.18 लाख की प्रशासकीय एवं प्रथम एवं द्वितीय त्रैमास हेतु वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020 दिनांक 24.03.2020 में दी गयी व्यवस्था के अन्तर्गत फेजिंग के अनुसार धनराशि रु0-80.07 लाख (रु0-अस्सी लाख सात हजार मात्र) को निम्नलिखित शर्तों के अनुसार अवमुक्त करते हुए वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं-

(धनराशि लाख रु0 में)

अनुदान सं0/लेखाशीर्षक	कोड सं0/मद का नाम	प्रत्येक त्रैमास में अपेक्षित धनराशि (वर्ष 2020-21)			
		जुलाई से सितम्बर	अक्टूबर से दिसम्बर	जनवरी से मार्च	योग
अनुदान सं0-83 2401-फसल कृषि कर्म- 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 07-औद्यानिक विकास कार्यक्रम	27-सब्सिडी	75.89	155.98	28.13	260.00
	42-अन्य व्यय	4.18	15.00	15.00	34.18
योग-		**80.07**	**170.98**	**43.13**	**294.18**

(1) वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/ दस-2020-231/2020, दिनांक 24.03.2020, शासनादेश संख्या-4/2020 /बी-1-192/दस-2020-231/2020 दिनांक 07.04.2020, शासनादेश संख्या-5/2020/बी-1-196/दस-2020-231/2020 दिनांक 11.04.2020 एवं शासनादेश सं0-6/2020/बी-1-218/दस-2020- 231/2020, दिनांक 18.05.2020 का अनुपालन निदेशक उद्यान एवं वित्त नियंत्रक उद्यान द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उसी मद में किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृति की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।

(3) कार्यों की द्विरावृत्ति न किये जाने एवं आवश्यकतानुसार आहरण कर व्यय किये जाने का दायित्व निदेशक, उद्यान एवं वित्त नियंत्रक, उद्यान का होगा।

(4) धनराशि का आहरण कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।

(5) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय नियमानुसार आवंटित परिव्यय सीमा के अन्तर्गत ही किया जायेगा।

(6) उक्त धनराशि का व्यय औद्यानिक विकास के लिए स्वीकृत परिव्यय/योजना के अनुसार निर्धारित फन्डिंग पैटर्न के अनुरूप ही किया जायेगा। इसमें किसी प्रकार का विचलन वित्तीय अनियमितता माना जायेगा तथा किसी भी प्रकार का व्यावर्तन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(7) जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

http://shasanadesh.up.gov.in

(8) अतिरिक्त धनराशि की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा। व्यय आवंटित सीमा तक ही रखा जाय।

(9) शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों सहित मितव्ययता के संबंध मे जारी शासनादेशों का अनुपालन प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जाय।

(10) निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण व वित्त नियन्त्रक, उद्यान इस बात को सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायी होगें कि व्यय को कड़ाई के साथ प्राधिकृत विनियोग के भीतर रखा जाये।

(11) उक्त प्रस्तर में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन विभाग में कार्यरत जनपदीय अधिकारी/वित्त नियन्त्रक, उद्यान द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। यदि निर्धारित शर्तो में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियन्त्रक, उद्यान का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले को पूर्ण विवरण सहित सूचना शासन/वित्त विभाग को तत्काल दिया जाय।

(12) यदि विभाग द्वारा, शासन द्वारा निर्धारित शर्तो का विचलन किया जाता है तो उसके लिए निदेशक उद्यान, वित्त नियन्त्रक, उद्यान विभाग तथा सम्बन्धित जनपद के जिला उद्यान अधिकारी सीधे उत्तरदायी होंगे।

(13) प्रश्नगत योजनान्तर्गत धनराशि की उपयोगिता रिपोर्ट पूर्ण विवरण सहित प्रत्येक माह के 10 तरीख तक शासन को अवश्य ही उपलब्ध करायी जाय।

(14) वित्त लेखा अनुभाग-1 के शा0सं0 ए-1-285/दस-2012-10(29)/2011 टी.सी-11 दिनांक 29 मई, 2012 द्वारा समस्त भुगतान NEFT/RTGS के माध्यम से इलेक्ट्रानिकली लाभार्थी के खाते में सीधे क्रेडिट किए जाने के निर्देश दिए गए है, अतः उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान तदनुसार ही सुनिश्चित किया जाए।

(15) प्रश्नगत धनराशि का उपयोग योजना में अनुसूचित जातियों के संबंध में दी गयी गाइड लाइन की व्यवस्था से आच्छादित प्रयोजनो पर ही नियमानुसार किया जायेगा।

(16) इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक ''2401-फसल कृषि कर्म-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-07 औद्यानिक विकास कार्यक्रम'' के अन्तर्गत उपरोक्त मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/ दस-2020-231/2020, दिनांक 24.03.2020 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किया जा रहा है।

भवदीया,

(इन्दुबाला कटियार)
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या-31/2020-755 (1)/58-2020-तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखा परीक्षक, प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- वित्त नियंत्रक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
4- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5- समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6- समस्त मण्डलीय उप निदेशक, उद्यान, उत्तर प्रदेश।
7- समस्त जिला उद्यान अधिकारी/अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।
8- वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
9- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
10- बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(इन्दुबाला कटियार)
संयुक्त सचिव।

http://srasanadesh.up.gov.in